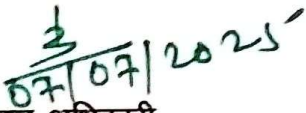


आदेश की क्रमांक एवं तिथि	आदेश एवं पदाधिकारी का हस्ताक्षर	आदेश पर कार्रवाई की टिप्पणी सहित
1	2	3
	अभिलेख उपस्थापित। राजस्व उप निरीक्षक एवं अंचल निरीक्षक एवं अंचल अमीन का जांच प्रतिवेदन प्राप्त हुआ। जांच प्रतिवेदन अंकित है कि “मौजा-कैराडीह के राजस्व अभिलेख एवं नक्शा का मिलान करके अंचल अमीन के साथ स्थलीय जाँच किया। जांच में पाया कि गैरमजरूआ खास खाता सं०-11 प्लॉट सं०-200/3 कुल रकबा 0.10ए० पर श्री रामदेव उरांव पिता झारी उरांव के द्वारा जोत कोड किया जा रहा है। उनके द्वारा जांच के दौरान वेदोबस्ती पर्या एवं निर्गत रसीद प्रस्तुत किया गया, जिससे पता चलता है कि अनुमण्डल पदाधिकारी के बंदोबस्ती वाद सं० 43/1995-1996के अंतर्गत दिनांक 28.06.1998 को मौजा कैराडीह थाना सं०- 356 के अंतर्गत उक्त खाता सं०- 11 प्लॉट 200/3 रकबा 0.10 ए० की बंदोबस्ती उक्त रैरुत श्री रामदेव उरांव पिता झारी उरांव के नाम से हुआ है, जिसका जमाबंदी मौजा कैराडीह के मांग पंजी 2 के पेज सं० 172/XI पर दर्ज होकर वर्ष 2024-25 तक रसीद निर्गत हो रहा है। इस प्रकार उक्त जमाबंदी संदेहास्पद प्रतीत हो रहा है।” अतः अंचल अमीन, राजस्व उपनिरीक्षक एवं अंचल निरीक्षक के द्वारा समर्पित किए गए जांच प्रतिवेदन के आधार पर संदेहास्पद या अवैध जमाबंदी से मुक्त करते हुए वाद की कार्रवाई <u>फ़ाइनल</u> की जाती है। लेखापित एवं संशोधित।  अंचल अधिकारी, मनातू।  अंचल अधिकारी, मनातू।	

सेवा में,

अंचल अधिकारी

मनाबू, पलामू।

विषय :- संदेहास्पद जमाबंदी केश नं. 12/2016 का जॉय
प्रतिवेदन के संबंध में।

महोदय,

उपर्युक्त विषय के संदर्भ में कहना है कि मौजा
कैराडीह में जम्मा राजस्व कागजान एवं नक्शा का मिलान
करके अंचल अमीन के साथ स्थानीय जॉय किया। जॉय
में पाया कि जैरमजरुआ खास खसरा सं- 11 प्लॉट
सं- 200/3 कुल रकबा - 0.10 ऐ. पर श्री रामदेव उरांव
पिता- श्री उरांव के द्वारा जोत कट किया जा रहा
है। उनके द्वारा जॉय के दौरान बंदोबस्ती पर्चा एवं
निर्गत रसीद प्रस्तुत किया गया, जिससे पता चलता है
कि अनुमंडल पदाधिकारी के बंदोबस्ती वाद सं- 43/1995
1996 के अंतर्गत दिनांक 28.06.1998 को मौजा कैराडीह
थाना सं- 356 के अंतर्गत कुल खसरा सं- 11 प्लॉट संख्या
200/3 रकबा - 0.10 ऐ. की बंदोबस्ती उक्त रसूल श्री
रामदेव ~~बंदा~~ उरांव पिता श्री उरांव के नाम से हुआ है,
जिसका जमाबंदी मौजा कैराडीह के ग्रंथ पंजी-2 के
पेज सं- 172/1 पर दर्ज होकर वर्ष 2024-25 तक रसीद
निर्गत हो रहा है। इस प्रकार उक्त जमाबंदी संदेहास्पद
स्थिति नहीं होता है।

अतः उक्त जमाबंदी को संदेहास्पद जमाबंदी
से मुक्त किया जा सकता है।

जनसंपर्क विभाग
कै. अमीन
8/07/2025

विश्वासभाजन

महसुल
02.07.25
RER

आदेश पत्रक

आदेश की क्रम सं० और तारीख	आदेश और पदाधिकारी का हस्ताक्षर	आदेश पर की गई कारवाई के बारे में टिप्पणी, तारीख सहित
1	2	3
5/01/23	अभिलेख उपस्थापित/अभिलेख का अवलोकन से स्पष्ट होता है कि पूर्व में प्रतिवेदित राजस्व उप निरीक्षक द्वारा जांच प्रतिवेदन समर्पित किया गया है। राजस्व उप निरीक्षक के द्वारा संदिग्ध/संदेहास्पद जमाबंदी के संबंध में जो प्रतिवेदन दिया गया है वह स्पष्ट नहीं है। इस संबंध में पूर्व में भी उपायुक्त महोदय के द्वारा किये गए बैठक में यह निर्देशित किया गया था कि इस प्रकार के चल रहे अभिलेख कि विस्तृत जांच कि जाय, की मामला संदिग्ध/संदेहास्पद जमाबंदी का बनता है कि नहीं, तदनुसार आगे कि कार्रवाई कि जाय। अतः उक्त निदेश के आलोक में राजस्व उप निरीक्षक/अंचल निरीक्षक से विस्तृत जांच प्रतिवेदन स्पष्ट अनुसंशा के साथ समर्पित करें कि मामला संदिग्ध/संदेहास्पद जमाबंदी का बनता है कि नहीं, जांच प्रतिवेदन एक सप्ताह के अंदर समर्पित करें।  अंचल अधिकारी, मनातू।	